नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 13/2025 निर्णय दिनांक :– 23.06.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र :

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका देवली जिला–टोंक राज0।

–प्रार्थी–

बनाम

1. जिला कलेक्टर टोंक राज0।
2. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला–टोंक राज0।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र दुरूस्त किये जाने किस्म (भूमि वर्गीकरण) आराजियात

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी भूमि खाता सं0 1725 खसरा नं0 4926/4231 रकबा 0.32 है0 व खसरा नं0 4939/4231 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 0.64 है0 भूमि वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक राज0 में स्थित है जो नगरपालिका की देवली की औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि है। उपखण्ड अधिकारी देवली के द्वारा प्रकरण सं0 5/2003 आदेश क्रमांक 206/2003 दिनांक 22.10.2003 के द्वारा खाता सं0 1725 खसरा नं0 4926/4231 रकबा 0.32 है0 व खसरा नं0 4939/4231 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 0.64 है0 किस्म बारानी–1 से धारा–90 बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ किस्म परिवर्तित के आदेश पारित किये गये थे। जिसकी प्रतिलिपि पालनार्थ अप्रार्थी सं0 2 को नियमानुसार दी गई थी। अप्रार्थी सं0 2 ने दिनांक 08.12.2003 को नामान्तकरण सं0 1289 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी देवली प्रकरण सं0 5/2003 आदेश क्रमांक 206/2003 दिनांक 22.10.2003 के द्वारा खाता सं0 1725 खसरा नं0 4926/4231 रकबा 0.32 है0 व खसरा नं0 4939/4231 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 0.64 है0 किस्म बारानी से धारा–90 बी राजस्थान

23.06.2025

भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ किस्म परिवर्तित प्रार्थी के नाम नामान्तकरण इन्द्राज कर दिया लेकिन जमाबन्दी में भूमि का वर्गिकरण नहीं कर बारानी प्रथम ही दर्ज कर दिया। जबकि भूमि वर्गीकरण में उपरोक्त आदेशानुसार भूमि की किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज करनी चाहिये थी। अप्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी देवली के द्वारा प्रकरण सं0 5/2003 आदेश क्रमांक 206/2003 दिनांक 22.10.2003 के द्वारा खाता सं0 1725 खसरा नं0 4926/4231 एकबा 0.32 है0 व खसरा नं0 4939/4231 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 0.64 है0 किस्म बारानी से धारा–90 बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ किस्म परिवर्तित के अनुसार हाल रिकार्ड में दुरूस्त कर किस्म बारानी प्रथम के स्थान पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला–टॉक राज0 में होने से उक्त प्रार्थनापत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

उक्त प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस अन्दर मियाद पेश है।

अधियाचना है कि :–

(अ) प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री इस कदर फरमाया जावे कि उपखण्ड अधिकारी देवली के द्वारा प्रकरण सं0 5/2003 आदेश क्रमांक 206/2003 दिनांक 22.10.2003 के द्वारा खाता सं0 1725 खसरा नं0 4926/4231 रकबा 0.32 है0 व खसरा नं0 4939/4231 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 0.64 है0 किस्म बारानी से धारा–90 बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ किस्म परिवर्तित कर हाल राजस्व रिकार्ड में किस्म बारानी प्रथम के स्थान पर किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

(ब) अन्य दादरसी जो प्रार्थी के हित में हो अलग से प्रार्थीगण से दिलवाया जावे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– प्रकरण मे मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम देवलीगाँव का खसरा नंबर 4926/4231 रकबा 0.

23.06.2025

32 है. व 4939/4231 रकबा 0.32 है. किस्म बारानी । "नगरपालिका देवली" के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संलग्न है। प्रकरण में न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी देवली) के प्रकरण संख्या 5/2003 सरकार जरिये तहसीलदार देवली बनाम गंगाराम पुत्र बीरमा जाती रेगर अन्तर्गत धारा 90बी रा0 भू0 राज0 अधि0 1956 सपठित धारा 63 राज. काश्त अधिनियम 1955 में उक्त आराजीयात को "औद्योगिक प्रयोजनार्थ" सम्परिवर्तित किया गया था। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है प्रकरण में उक्त आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में तत्कालीन पटवारी द्वारा अमल दरामद हेतु नामांतरण संख्या 1289 दर्ज किया गया। जिसमें कॉलम 9 में काश्तकार का नाम "सिवायचक बिना लगानी नगरपालिका देवली" दर्ज है तथा कॉलम 12 मृदा (भूमि) वर्गीकरण में किस्म "बारानी प्रथम" ही दर्ज कर दी गयी जबकि उक्त भूमि "औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज कर नगरपालिका देवली में निहित की जानी थी नामांतरण की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त कर किस्म बारानी प्रथम के स्थान पर "औद्योगिक परियोजनार्थ" किये जाने जाने हेतु वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन करते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

तहसीलदार देवली ने अपनी बहस में जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी देवली के प्रकरण सं0 5/2003 आदेश क्रमांक 206/2003 दिनांक 22.10.2003 के द्वारा खाता सं0 1725 खसरा नं0 4926/4231 रकबा 0.32 है0 व खसरा नं0 4939/4231 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 0.64 है0 किस्म बारानी–1 से धारा–90 बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ किस्म परिवर्तित के आदेश पारित संलग्न है।

23.06.2025

दिनांक 08.12.2003 को नामान्तकरण सं0 1289 के द्वारा खसरा नं0 4926/4231 रकबा 0.32 है0 व खसरा नं0 4939/4231 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 0.64 है0 नगरपालिका देवली के नाम नामान्तकरण इन्द्राज कर दिया लेकिन जमाबन्दी में भूमि का वर्गिकरण नहीं कर बारानी प्रथम ही दर्ज कर दिया।

जमाबन्दी सम्वत 2074—77 में नगरपालिका देवली हिस्सा पूर्ण में खाता सं0 1725 खसरा नं0 4926/4231 रकबा 0.32 है0 व खसरा नं0 4939/4231 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 0.64 है0 किस्म बारानी दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्तानुसार दस्तावेजो के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी देवली के प्रकरण सं0 5/2003 आदेश क्रमांक 206/2003 दिनांक 22.10.2003 के द्वारा खाता सं0 1725 खसरा नं0 4926/4231 रकबा 0.32 है0 व खसरा नं0 4939/4231 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 0.64 है0 किस्म बारानी—1 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ किस्म परिवर्तित के आदेश दिये गये थे परन्तु बाद के राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व अधिकारीयो द्वारा सहवन से भूमि की किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ ने होकर बारानी—1 ही दर्ज होता गया जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी बारानी—1 प्रथम ही दर्ज रिकॉर्ड है। जिसको शुद्ध करने हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है।

आदेश

प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2074—77 के खाता संख्या 1725 के खसरा नं0 4926/4231 रकबा 0.32 है0 व खसरा नं0 4939/4231 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 0.64 है0 की किस्म बारानी—1 के बजाय औद्योगिक प्रयोजनार्थ किस्म राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 23.06.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली